न्यायालय जिला कलक्टर (आरबीट्रेटर),उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 01/17 (आर्बीट्रेशन)

1. भंवरलाल पिता स्व. श्री शोभालाल सुथार निवासीः मजरा अम्बेरी, तहसील–बड़गांव, उदयपुर
2. रामलाल पिता स्व. श्री शोभालाल सुथार निवासीः मजरा अम्बेरी, तहसील–बड़गांव, उदयपुर

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. भारत संघ सड़क परिवहन राजमार्ग, मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली चेयरमेन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कार्यालय जी 5–6, सेक्टर नंबर 10, द्वारिका, नई दिल्ली
2. परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कार्यालय, सरस डेयरी के पास, गोवर्धन विलास, उदयपुर राज.
3. सक्षम प्राधिकृत अधिकारी (भू.अ.अ.) एवं उप–प्रभागीय अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

.....विपक्षीगण

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3–जी की उपधारा 1 एवं 3 के अन्तर्गत अवाप्ति भूमि की क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण बाबत्

उपस्थितिः–	श्री रोशनलाल सुथार, अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री पी.सी. जैन, अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक– 16/07/2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3–जी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की एकल स्वामित्व एवं खातेदारी की भूमि अम्बेरी तहसील बडगांव जिला–उदयपुर की आराजी संख्या 965 रकबा 0.2300 हैक्टेयर में से 0.1300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 964 रकबा 0.0700 हैक्टेयर में से 0.0500 हैक्टेयर, आराजी संख्या 968 रकबा 0.2200 हैक्टेयर में से 0.1500 हैक्टेयर, आराजी संख्या 969 रकबा 0.2300 हैक्टेयर में से 0.1300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 956 रकबा 0.6400 हैक्टेयर में से 0.1800 हैक्टेयर उपरोक्त वर्णित अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई जिसका कुल राशि 2,00,26,196/– प्रार्थीगण के नाम मुआवजा राशि का अवार्ड दिया गया। कुलिया जमीन जो अवाप्त की जा रही है वो सभी चाह नंबर 959 से पीवल

जिला कलक्टर
उदयपुर

होती है तथा दो–तीन फसले प्रार्थीगण लेते है। प्रार्थीगण की भूमि ग्रामीण क्षेत्र अम्बेरी में स्थित है तथा नगर परिषद् उदयपुर की सीमा से बाहर है। जमीन जब से खरीदी उस पर लागत लगा कृषि योग्य बनाई है, इसी से परिवार का भरण–पोषण होने के कारण आज दिन तक अन्य किसी व्यक्ति को सेल नहीं की है। प्रार्थीगण के नाम जो भी कृषि भूमि खसराओं की है वे सभी पाली टू पाली जुडे हुए है लेकिन सरकार द्वारा जो रकब भूमि का अवाप्त किया जा रहा है उससे छः ही आराजीयात के टुकडे हो रहे है यानि सड़क चार लेन निकालने से दो भाग हो जायेंगे जिसकी सुरक्षा हेतु अलग–अलग कोट बाड करनी होगी तथा हर समय निगरानी रखनी पड़ेगी। अवाप्त की जाने वाली भूमि के अलावा आराजी नंबर 970, 971, 977, 978, 979, 980 एवं 983 रकबा 1.7000 हैक्टेयर ओर है के प्रार्थीगण एकमात्र खातेदार काश्कार है जिससे अन्य किसी व्यक्ति भाई गरासियों का कोई हक अधिकार नहीं है इसलिए एकल स्वामित्व की वजह से प्रार्थीगण की प्रतिष्ठा बनी हुई है, लगान जमा कराते है इसके सिवाय प्रार्थीगण के पास कोई जमीन नहीं हैं अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जिस प्रकार से गणना की गई है उसमें सहवन से त्रुटि रही है। आराजी नंबर 965 का अवाप्त रकबा 0.1300 हैक्टेयर भूमि चाह नंबर 959 से आस–पास होकर पीवल रही है की डी.एल.सी. दर अनुसार 31,69,100/– रुपया प्रतिबीघा के बजाय 22,89,100/– रूपया से गणना की गई है जिससे 88,000/– रुपये की कमी रही है जबकि अन्य आराजी नंबर 964, 968, 969, 957, 956 की अवाप्तशुदा जमीन की प्रतिबीघा दर 31,69,100/– रूपये से की गई है, जो मानने योग्य नहीं है। ब्याज दर 12 प्रतिशत से दिनांक 29.11.2014 से मात्र मुआवजा राशि 76,55,114/– रुपये पर 03.06.2016 तक के 8,88,412 रुपये अवार्ड में दर्शाया गया है जबकि सरकार द्वारा जारी अध्यादेश 07.11.2014 का है यादि 07.11.2014 से गणना की होनी चाहिए तथा मुआवजा राशि 76,55,144 + कारक राशि + क्षतिपूर्ति की कुलिया राशि पर गणना होनी चाहिए क्योंकि कुलिया राशि जो बनती है वह पूर्ण रूप से मुआवजा कानूनन मानी जाती रही है। विपक्षी संख्या 3 ने ब्याज दिनांक 03.06.2016 तक की गणना की है लेकिन इसके बाद रकम अदायगी तक बाबत् कोई निर्देश नहीं फरमाये गये है। जमीन की दर 29.11.2014 को प्रचलित दर आधार पर रजिस्ट्री विभाग द्वारा किये जाने को आधार लिया गया है लेकिन इस मामले में प्रथमः अवार्ड दिनांक दिनांक 03.06.2016 को जारी किया गया है अतः प्रतिबीघा मार्केट रेट से प्रचलित अनुसार किया जाना चाहिए था तथा कुलिया मुआवजा राशि पर 24 प्रतिशत से ब्याज की गणना की जाकर अवार्ड जारी किया जाना था लेकिन ऐसा नहीं करने के कारण प्रार्थीगण को आर्थिक नुकसान दिया गया है। विपक्षी संख्या 3 ने मुआवजा राशि 76,55,114/– पर 12 प्रतिशत से ब्याज जोड़ा गया है वो 88,000/– के बजाय 29,13,140/– रुपये बनता है यदि ब्याज की गणना दिनांक 07.11.2014 से करते है तो ओर अधिकर ब्याज होगा जो प्रार्थीगण प्राप्त करने को हकदार है। डी.एल.सी. दरे व्यवहारिक नहीं है, न अवाप्त भूमि पर लागू होती है क्योंकि डी.एल.सी. दरों का निर्धारण केवल मात्र रजिस्ट्री प्रक्रिया के तहत सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। अवाप्तशुदा भूमि की दरे

जिला कलक्टर
उदयपुर

मार्केट रेट पर किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर जो अवार्ड मुआवजा राशि का जारी हुआ है उसमें उपरोक्त वर्णितानुसार मुआवजा राशि डी.एल.सी. रेट की चारगुणा से गणना फरमा, क्षतिपूर्ति राशि, ब्याज राशि 24 प्रतिशत से गणना कर, 30 प्रतिशत अतिरिक्त राशि सोलेसियम के रूप में प्रार्थीगण को दिलाई जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

विपक्षीगण ने अपने जवाब में निवेदन किया कि अवाप्त भूमि सिंचित रही है इस संबंध में कथन है कि अभिलेख व मौके की किस्म अनुसार उच्चतम दर से मुआवजा अवार्ड पारित किया गया है। अवाप्त भूमि जिस पटवार हल्का क्षेत्र तहसील क्षेत्र राजस्व अधिकारी क्षेत्र में रही है उसी दर से अवार्ड पारित किया गया है। सम्पूर्ण भूमि राजस्व अभिलेख के अनुसार खातेदारी हक व हिस्सा मुताबिक वैधानिक कार्यवाहियां पूर्ण करते हुए रेकर्ड एवं मौके के परीक्षण अनुसार पारित किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा सर्वांगिण विकास के लिए राष्ट्रहित में भूमि अवाप्त किया जाना राष्ट्र का गौरवशाली कृत्य है जिससे प्रार्थी की प्रतिष्ठा खण्डित होने की अवधारणा नहीं की जा सकती है जबकि राष्ट्र कल्याण में योगदान माना जाता है। जो बाजार दर जिला स्तरीय कमेठी द्वारा अवाप्त भूमि के संबंध में निर्धारित की गई है उसी अनुसार अवार्ड आदेश पारित किया गया है। अवार्ड की पालना में राशि अवार्ड पारित होने पर केन्द्र सरकार द्वारा सक्षम विभाग में जमा करा दी गई जो हितधारक को नियमानुसार हस्तांतरित की जा चुकी है। अवाप्त भूमि के मुआवजे के संबंध में ब्याज की गणना व अदायगी के उपलब्ध प्रभावी है और हस्तगत प्रकरण के संबंध में आधिपत्य लिये जाने के काफी समय पूर्व ही मुआवजा आदेश की पालना में हितधारक को राशि हस्तांतरित की गई है। रेकर्ड एवं मौके की सिंति के आधार पर उच्चतम दर से भुगतान किया गया है और ऐसा कोई भी दस्तावेज किसी भी स्तर पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि बाजार दर अधिक रही हो।। विधिसंगत कर्तव्यों व दायित्वों का निर्वहन सक्षम प्राधिकृत अवाप्ति अधिकारी द्वारा पूर्णरूप से किया गया है। जितनी भूमि जिस किस्म की अवाप्त हुई है उसका सविस्तार उल्लेख करते हुए अवार्ड पारित किया गया है जिसे स्वयं प्रार्थी द्वारा अपने क्लेम आवेदन पत्र के पृष्ठ सं. 2 व 3 में अंकन किया गया है जिसके विपरित वर्णित अभिवचनों का उल्लेख औचित्य एवं आधारहीन है। प्रभावी दर पर गुणांक अनुसार राशि जोड़ते हुए मय ब्याज अवार्ड पारित किया गया है तथा मानसिक संताप व जलालत प्रार्थीगण को किसी भी आशय से नहीं हुई है, न उक्त तथ्य मुआवजा निर्धारण का आधार ही रखते है। पारित अवार्ड में किसी भी तरह की कोई वैधानिक चूक किसी भी रूप में अस्तित्व में नहीं रही, न इसके विपरीत कोई साक्ष्य या अभिलेख ही रेकर्ड पर उपलब्ध है, ऐसी दशा में प्रार्थी का आवेदन पत्र अपास्त फरमाये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 12(क) में ब्याज दर, सोलशियम व अन्य आधार पर अनुतोष चाहा गया है जो विधि के

जिला कलक्टर
उदयपुर

विपरीत है एवं विधिसंगत सम्पूर्ण राशि का अवार्ड पारित किया गया है जिसका भुगतान हितधारक द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। वास्तवकिा यह रही है कि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व भुगतान प्रार्थीगण के खातो में तकनीकी कारण से हस्तांतरित न होने के कारण पूर्व ही यह आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया गया था ओर मात्र प्रार्थना पत्र का आधार दर्शित करने के लिये मिथ्या अभिवचनों का उल्लेख किया गया हैं अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का क्लेम आवेदन पत्र निरस्त फरमाये जाने का अवार्ड/आदेश पारित फरमाया जावे।

उपस्थित अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया किप्रार्थीगण की एकल स्वामित्व एवं खातेदारी की भूमि अम्बेरी तहसील बडगांव जिला–उदयपुर की आराजी संख्या 965 रकबा 0.2300 हैक्टेयर में से 0.1300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 964 रकबा 0.0700 हैक्टेयर में से 0.0500 हैक्टेयर, आराजी संख्या 968 रकबा 0.2200 हैक्टेयर में से 0.1500 हैक्टेयर, आराजी संख्या 969 रकबा 0.2300 हैक्टेयर में से 0.1300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 956 रकबा 0.6400 हैक्टेयर में से 0.1800 हैक्टेयर उपरोक्त वर्णित अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई जिसका कुल राशि 2,00,26,196/– प्रार्थीगण के नाम मुआवजा राशि का अवार्ड दिया गया। कुलिया जमीन जो अवाप्त की जा रही है वो सभी चाह नंबर 959 से पीवल होती है तथा दो–तीन फसले प्रार्थीगण लेते है। आराजी नंबर 965 का अवाप्त रकबा 0.1300 हैक्टेयर भूमि चाह नंबर 959 से आस–पास होकर पीवल रही है की डी.एल.सी. दर अनुसार 31,69,100/– रुपया प्रतिबीघा के बजाय 22,89,100/– रूपया से गणना की गई है जिससे 88,000/– रुपये की कमी रही है जबकि अन्य आराजी नंबर 964, 968, 969, 957, 956 की अवाप्तशुदा जमीन की प्रतिबीघा दर 31,69,100/– रूपये से की गई है, जो मानने योग्य नहीं है। ब्याज दर 12 प्रतिशत से दिनांक 29.11.2014 से मात्र मुआवजा राशि 76,55,114/– रुपये पर 03.06.2016 तक के 8,88,412 रुपये अवार्ड में दर्शाया गया है जबकि सरकार द्वारा जारी अध्यादेश 07.11.2014 का है यादि 07.11.2014 से गणना की होनी चाहिए तथा मुआवजा राशि 76,55,144 + कारक राशि + क्षतिपूर्ति की कुलिया राशि पर गणना होनी चाहिए क्योंकि कुलिया राशि जो बनती है वह पूर्ण रूप से मुआवजा कानूनन मानी जाती रही है। विपक्षी संख्या 3 ने मुआवजा राशि 76,55,114/– पर 12 प्रतिशत से ब्याज जोड़ा गया है वो 88,000/– के बजाय 29,13,140/– रुपये बनता है यदि ब्याज की गणना दिनांक 07.11.2014 से करते है तो ओर अधिकर ब्याज होगा जो प्रार्थीगण प्राप्त करने को हकदार है। डी.एल.सी. दरे व्यवहारिक नहीं है, न अवाप्त भूमि पर लागू होती है क्योंकि डी.एल.सी. दरों का निर्धारण केवल मात्र रजिस्ट्री प्रक्रिया के तहत सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर जो अवार्ड मुआवजा राशि का जारी हुआ है उसमें उपरोक्त वर्णितानुसार मुआवजा राशि डी.एल.सी. रेट की चारगुणा से गणना फरमा, क्षतिपूर्ति राशि, ब्याज राशि 24 प्रतिशत से गणना कर प्रार्थीगण को दिलाई जाने का आदेश प्रदान करावे।

जिला कलक्टर
उदयपुर

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ राजस्व ग्राम–गोज्या, तहसील–गिर्वा, उदयपुर में स्थित आराजी संख्या 1779/1214 रकबा 0.0500 किस्म भूमि के अवाप्त के संबंध में नियमानुसार नेशनल हाइवे एक्ट 1956 की धारा 3–ए एवं 3–डी के तहत प्रकाशित अधिसूचना में वर्णित खसरा संख्या 1779/1214 सरकार ग्राम पंचायत अमरपुरा के नाम दर्ज होकर उक्त सरकारी भूमि पर स्थित वास्तविक संरचनाओं की क्षति का पूर्ण मूल्यांकन अधिकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा विपक्षी संख्या 2 द्वारा नियुक्त योग्यताधारी से कराया गया है और मूल्यांकन प्रतिवेदन में सभी तथ्यो का पूर्ण समावेश किया गया है और अदा योग्य मुआवजा राशि का अवार्ड सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) द्वारा पारित किया गया है। नेशनल हाईवे एक्ट 1956 की धारा 3(जी)(7)(ए) में स्पष्ट वर्णित है कि The market value of the land on the date of publication of the notification u/s 3(a) ऐसी दशा में जिस दिनांक को नोटिफिकेशन 3–ए का प्रकाशन हुआ उस दिनांक को जो भी भूमि की किस्म रही है, उसी का मुआवजा प्रार्थी प्राप्त करने की अधिकारित रखता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से निरस्त होने योग्य है। प्रार्थी द्वारा नियमानुसार आम सूचना प्रकाशित किये जाने की नियम समयावधि के भीतर क्लेम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, और ना ही प्रार्थी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय पत्रावली पर प्रस्तुत किया है जिससे यह ज्ञात होता हो कि प्रार्थी की ओर से निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई हो। जबकि नेशनल हाईवे एक्त की धारा 3–सी में स्पष्ट प्रावधान है कि (1) Any person interested in the land may, within twenty one days from the date of publication of the notification under sub section (1) of section 3A, object to the use of land for the purpose mentioned in that sub section. उक्तानुसार नेशनल हाइवे एक्ट की धारा 3–सी के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से एवं प्रार्थी की ओर से निर्धारित अवधि में आपत्तियां सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने से प्रार्थी आप अदालत को मुगालते में रखते हुए अब न तो कोई बढ़ी हुई मुआवजा राशि पाने का अधिकारी है न ब्याज या अन्य कोई राशि। प्रस्तुत प्रकरण में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत कारित की गई है, जिसके तहत धारा 3 के तहत पूर्ण कार्यवाही निष्पादित की गई है, ना कि भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की धारा 3–जे में स्पष्ट प्रावधान है कि हस्तगत अवाप्ति की कार्यवाही पर भूमि अवाप्ति अधिनियम के प्रावधान प्रभावी नहीं होंगे। नियमानुसार मुआवजे के निर्धारण

जिला कलक्टर
उदयपुर

उदयपुर

का आधार प्रचलित बाजार दर तथा उसकी उपयोगिता लोकेशन भविष्यकालीनी विकासशीलता आदि तथ्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। हस्तगत प्रकरण में मुआवजा अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार ही दिया गया है। कानूनन भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पारित मुआवजा आदेश में वृद्धि किये जाने का कोई विधिक एवं तथ्यात्मक आधार अभिलेखानुसार एवं मौके की स्थिति के आधार पर प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं पाया जाने से पारित अवार्ड राशि में वृद्धि किया जाना विधि अनुसार संभव नही है। अतः निवेदन है कि विपक्षी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत उक्त जवाब क्लेम प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्येनजर रखते हुए प्रार्थी का क्लेम प्रार्थना पत्र विरूद्ध विपक्षीगण निरस्त किये जाने का आदेश न्यायहित में बक्षाया जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी से संबंधित भूमि मय मकान जो ग्राम गोजीया तहसील गिर्वा जिला उदयपुर में आराजी संख्या 1779/1214 की अवाप्ति अधिसूचना अन्तर्गत धारा 3(ए) राजपत्र में दिनांक 05.02.2019 को जारी की गई। उक्त सूचना के अनुक्रम में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3(सी) के तहत आपति आमंत्रित की गई व समस्त तथ्यों से परे अवाप्ति अधिकारी द्वारा वैधानिक कर्तव्य से परे कृत्य करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 3–डी के तहत अधिसूचना दिनांक 27.06.2019 को प्रकाशित हुई और मुआवजा क्लेम प्रस्तुत किये जाने बाबत् विपक्षी संख्या 3 द्वरा प्रभावित होने वाली संरचनाओं की क्षति का मूल्यांकन अपने अधिकारीता के अधीन नियुक्त मुल्यांकनकर्ता पंचोली एसोसियेटस द्वारा मुल्यांकन निर्धारित कराया गया। उक्त मूल्यांकनकर्ता विभागीय अधिकारीयों द्वारा प्रार्थी की अनुपस्थिति व प्रार्थी को अवगत न कराते हुए सही एवं वास्तविक तथ्यों से परे मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत की गई है। सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करते हुए संतोषप्रद अवार्ड पारित किया जाना था लेकिन विपक्षी संख्या 3 द्वारा सभी तथ्यों से जानकार होने के बावजूद प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की सम्पति पर निवास हेतु मकान बना हुआ है एवं भरण पोषण व आजीविका हेतु वाणिज्य इकाई दुकान स्थापित होकर व्यवसाय संचालन में है उक्त तथ्यों को अवाप्ति अधिकारी द्वारा सही होना स्वीकार किया है किन्तु उपरोक्त विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा विपक्षी संख्या 3 को आवश्यक तथ्यों से अवगत कराया गया फिर भी विपक्षी संख्या 3 द्वारा चुनौतीग्रस्त अवार्ड दिनांक 21.05.2020 को पारित किया गया और उक्त अवार्ड भी मात्र जिन संरचनाओं को अवाप्ति भूमि के अधीन होने से ध्वस्त किया जाना है उसी का मुआवजा पारित किया गया है। विपक्षी संख्या 3 द्वारा सही एवं वास्तवित तथ्यों से परे जाकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3–जी के अवलोकन व परिशीलन न कर उक्त प्रावधान की अवहेलना करते हुए चुनौतीग्रस्त अवार्ड पारित किया गया है जो अवलोकन मात्र से निरस्त फरमाये जाने योग्य है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन एवं मनन किया। अधीनस्थ अवाप्ति अधिकारी की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण

जिला कलक्टर
उदयपुर

की ग्राम अम्बेरी तहसील बडगांव की आराजी संख्या 965, 964, 968, 969, 957 एवं 956 की अवाप्ति की कार्यवाही की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी संख्या 964 किस्म भुक कु प्रथम, 968 किस्म भुक कु द्वितीय, 969 किस्म कु द्वितीय, 957 किस्म कु द्वितीय एवं 956 किस्म भुक कु द्वितीय की मुआवजे की डी.एल.सी. दर 31,69,100 प्रतिबीघा की दर से एवं आराजी संख्या 965 किस्म भुक कु प्रथम के मुआवजे की डी.एल.सी. दर 22,89,100 प्रतिबीघा की दर से मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है। चूंकि अवाप्त भूमि एक ही किस्म की होकर एक ही अवार्ड दिनांक 03.06.2016 को पारित किया गया है। भूमि एक ही किस्म की होकर अलग–अलग दर से मुआवजा किस आधार पर पारित किया गया है इस संबंध में कोई भी रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रकरण में पुनः जांच करे, उभयपक्ष को सुनवाई, दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया जाकर हुए उस पर बनने वाले समस्त परिलाभ की राशि का नये सिरे से निर्धारण कर विधिसम्मत अवार्ड पारित करे।

निर्णय की प्रति दोनों पक्षकारो को नियमानुसार प्रदान की जावें एवं निर्णय की प्रति मय अवाप्त अधिकारी की पत्रावली 06/16 सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी गिर्वा उदयपुर को प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर,
उदयपुर